भारत सरकार
नागर विमानन मंत्रालय
लोक सभा
लिखित प्रश्न संख्या: 705
गुरुवार, 24 जुलाई, 2025/2 श्रावण,1947 (शक) को दिया जाने वाला उत्तर

डीजीसीए सुरक्षा ऑडिट

705. श्री धैर्यशील संभाजीराव माणे:
श्री चव्हाण रविन्द्र वसंतराव:
श्रीमती जून मालिया:
श्री यूसुफ पठान:
श्री सुधीर गुप्ता:
श्री मनीष जायसवाल:

क्या **नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (डीजीसीए) ने हाल ही में देश के विभि न्न हवाई अड्डों पर अंतर्राष्ट्रीय नागरकि उड्डयन मानदंडों के अनुरूप कोई सुरक्षा निरीक्षण किया है;
(ख) यदि हाँ, तो पिछले दो वर्षों और चालू वर्ष के दौरान कि ए गए ऐसे निरीक्षणों का वर्ष-वार ब्यौरा क्या है और उसके निष्कर्ष क्या है;
(ग) क्या डीजीसीए को उक्त सुरक्षा निरीक्षणों के दौरान कुछ एयरलाइन कंपनियों द्वारा अनुपालन संबंधी कोई समस्या मिली है और यदि हाँ, तो ऐसी एयरलाइन कंपनियों के नामों सहित उसका ब्यौरा क्या है;
(घ) क्या सरकार ने ऐसी एयरलाइन कंपनियों को कोई निर्देश जारी किए हैं जो अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन मानदंडों के अनुरूप अनुपालन नहीं कर रही हैं;

(ङ) यदि हाँ, तो एयरलाइन कंपनी-वार उसका ब्यौरा क्या है और इस संबंध में उक्त एयरलाइन कंपनियों की क्या प्रतिक्रिया है; और

(च) एयरलाइनों द्वारा उड़ान योग्यता, पायलट प्रशिक्षण और दिशानिर्देशों के अनुपालन में सुधार के लिए अन्य क्या उपाय किए जा रहे हैं?

उत्तर
नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुरलीधर मोहोल)

(क) से (च)**:** नागर विमानन महानिदेशालय (डीजीसीए) के पास विमानों के सुरक्षित परिचालन और उनके रखरखाव के लिए व्यापक और संरचित नागरिक विमानन विनियम हैं। इन नियमों को निरंतर अद्यतन किया जाता है और अंतर्राष्ट्रीय नागर विमानन संगठन (आईसीएओ)/यूरोपीय संघ विमानन सुरक्षा एजेंसी (ईएएसए) मानकों के अनुरूप बनाया जाता है।

नागर विमानन महानिदेशालय (डीजीसीए) के पास एक संरचित निगरानी और ऑडिट फ्रेमवर्क मौजूद है अर्थात संगठन/विमानों की नियोजित और अनियोजित निगरानी, जिसमें संगठन/विमान

की नियोजित और अनियोजित निगरानी, जिसमें रखरखाव प्रथाओं की निरंतर निगरानी सहित सभी प्रचालकों में नियमित और आवधिक ऑडिट, स्पॉट चेक, रात्रि निगरानी और रैंप निरीक्षण शामिल हैं। उल्लंघन पाए जाने पर डीजीसीए अपनी प्रवर्तन नीति और प्रक्रिया नियमावली के अनुसार प्रवर्तन कार्रवाई करता है।

नागर विमानन महानिदेशालय ने हाल ही में पाँच हवाई अड्डों अर्थात दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, पटना और हैदराबाद में व्यापक सुरक्षा संपरीक्षा की। इन निरीक्षणों के दौरान अनुसूचित एयरलाइनों को भी शामिल किया गया।

इन निरीक्षणों के दौरान निम्नलिखित क्षेत्रों को कवर किया गया:

1. विमान रखरखाव और उड़नयोग्यता

2. रैंप निरीक्षण

3. ब्रेथ एनालाइजर टैस्ट

4. ग्राउंड हैंडलिंग

5. हवाई यातायात प्रबंधन और केबिन संचार, दिक्चालन और निगरानी (सीएनएस) (वायु दिक्चालन सेवा मानक - एएनएसएस)

6. केबिन सुरक्षा

7. हवाईअड्डा और हवाई क्षेत्र प्रचालन

8. राज्य सरकार-नागर विमानन निदेशालय (सीएडी)

पिछले दो वर्षों और चालू वर्ष के दौरान रैंप, विदेशी एयरलाइनों की सुरक्षा निगरानी (एसओएफए), स्पॉट चैक और रात्रि निगरानी सहित किए गए निरीक्षणों का विवरण इस प्रकार है:

वर्ष	निरीक्षणों की संख्या	प्रवर्तन कार्रवाई
2023	5745	542
2024	6009	673
2025 (अप्रैल तक)	1999	254

इन निरीक्षणों के दौरान दर्ज किए गए निष्कर्षों को आवश्यक सुधारात्मक कार्रवाई के लिए संबंधित संगठनों को भेज दिया गया था।

पायलट प्रशिक्षण विभिन्न नागर विमानन अपेक्षाओं (सीएआर) और परिचालन परिपत्रों के तहत निर्दिष्ट मौजूदा विनियमों के अनुसार है, जो अंतर्राष्ट्रीय नागर विमानन संगठन (आईसीएओ) और सर्वोत्तम वैश्विक प्रथाओं के अनुरूप हैं।

******